राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी–सुश्री महिमा कसाना, आई.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या–16/2024
जी0सी0एम0एस0 संख्या– 2024/121
दायर दिनांक– 10.7.2024
निर्णय दिनांक–30.10.2024

1. खुमाराम पुत्र पूषा
2. बिरम राम पुत्र पूषा
3. मगनी पुत्री पूषा
4. सायरी पुत्र पूषा
   सर्वजाति जाट सर्वनिवासी ग्राम रामनगर तह0 रूपनगढ़ जिला अजमेर

——प्रार्थीगण

बनाम

1. देवकरण पुत्र घीसा
2. पूनमचन्द पुत्र घीसा
3. बिरम पुत्र घीसा
4. काना पुत्र भोल
5. सुजा पुत्र भोलू
6. हेमा पुत्र भोलू
7. झूमा देवी पुत्री भोलू
8. आसी पत्नि रूपा
9. रतनलाल पुत्र रूपा
10. राकेश जाट पुत्र रूपा
11. देवकरण पुत्र चौथू
12. सुखदेव पुत्र चौथू
    सर्वजाति जाट, सर्वनिवासी रामनगर तहसील रूपनगढ़
13. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, रूपनगढ जिला अजमेर राजस्थान।

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान–भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–:1. श्री विमल किशोर तिवाड़ी अधि0 प्रार्थी
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़

–:निर्णय:–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ग्राम रामनगर पटवार हल्का निटूटी भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रूपनगढ़ तहसील रूपनगढ़ के ख0न0 245 क्षेत्रफल 0.9788 है0 में संयुक्त कब्जे काश्त खातेदारी की कृषि भूमि स्थित है तथा मौके पर प्रार्थीगण कब्जा काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थीगण की वर्णित कब्जे एवं खातेदारी की कृषि भूमि [illegible] हुई उत्तर दिशा में चारागाह की भूमि लगी हुई है तथा पश्चिम दिशा में अप्रार्थी संख्या 1 लगायत [illegible] की [illegible] की सीमा लगी हुई है। पूर्व दिशा में चारागाह भूमि लगी हुई है। दक्षिण दिशा में अप्रार्थी संख्या [illegible] 12 की भूमि व प्रार्थीगण की

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahima Kasana
Date: 2024.12.02 12:25:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

स्वयं की कृषि भूमि की सीमा लगी हुई इसलिए पक्षकार के रूप में दर्ज किया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 12 के द्वारा आये दिन अनावश्यक हस्तक्षेप कर विवाद उत्पन्न करते है, लड़ाई झगड़ा करते है। प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि की नींव सींव मेड़ को लेकर व्यवधान करते है। प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि का सीमाज्ञान करवाने के आदेश हल्का पटवारी व गिरदावर के नाम जारी किया गया तत्पश्चात सीमाज्ञान किया गया। प्रार्थीगण संयुक्त खातेदारी की भूमि पर कृषि कार्य करते चले आ रहे है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 12 तक के द्वारा आये दिन सींव को लेकर विवाद करते रहते है एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 12 के द्वारा प्रार्थीगण की खातेदारी की कृषि भूमि की सींव उखाड़ने पर आमादा हो जाते है जिससे प्रार्थीगण को काफी परेशानी होती है। प्रार्थीगण की कृषि भूमि पर पत्थरगढ़ी करवाया जाना अति आवश्यक है अन्यथा वाद बाहुल्यता को बढ़ावा मिल सकता है। अप्रार्थी संख्या 13 को भूमिधारी होने से पक्षकार बनाया गया है एवं मृतक कानी पत्नि भोलू के वारिसान को अप्रार्थी संख्या 7 तथा प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 4 लगायत 6 के पहले से पक्षकार के रूप में दर्ज है। प्रार्थी की ओर से प्रार्थना है कि प्रार्थी के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की उक्त भूमि की पत्थरगढ़ी करवाये जाने के आदेश फरमावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की गई। अप्रार्थीगण के नोटिस तामिलशुदा प्राप्त। अप्रार्थी संख्या 1 से 12 वावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 13 तहसीलदार रूपनगढ़ की ओर से जवाब पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

हमने वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़ की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी व पड़ौसी खातेदारान के मध्य नींव सींव के संबंध में विवाद होता रहता है इसलिए पत्थरगढ़ी करवाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करावें। पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़ ने अपनी बहस में पैरोकार सरकार के जवाब को ही बहस माने जाने हेतु अपनी सहमति प्रदान की।

हमने पत्रावली का अध्ययन, अवलोकन किया एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। तदनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम रामनगर के ख0नं0 245 क्षेत्रफल 0.9788 है0 भूमि की पडौसी खातेदारो को सूचित करते हुये उनकी उपस्थिति में मौके पर किसी प्रकार का वाद–विवाद ना हो तो नियमानुसार पत्थरगढ़ी करने के आदेश दिये जाते है। इस हेतु तहसीलदार रूपनगढ़ को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर शुल्क की राशि रूपये 1000/– अक्षरे एक हजार रूपये मात्र नियत की जाती है। जिसका मौके पर भुगतान हो। पत्थरगढ़ी शुल्क की राशि रूपये 100/– अक्षरे एक सौ रूपये मात्र जरिये चालान जमा होने पर आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30.10.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahima Kasana
Date: 2024.12.02 12:25:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(अजमेर)

महिमा कसाना
(आई.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ (अजमेर)